[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं0 01/2023 – एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

सा0का0नि0 ....(अ)–केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, सभी वस्तुओं और सेवाओं (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सिवाय) को वस्तु और सेवाओं की श्रेणी के रूप में अधिसूचित करती है, जिन्हें एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात किया जा सकता है और जिस पर ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है :

सारणी

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (चूने की ट्यूब के बिना) – ब्रांड नाम वाला
3.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (चूने की ट्यूब के साथ) – ब्रांड नाम वाला
4.	2401 30 00	तम्बाकू से इन्कार, ब्रांड नाम वाला
5.	2403 11 10	तम्बाकू ब्रांड नाम वाला 'हुक्का' या 'गुडकू'
6.	2403 11 10	धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाने वाला तम्बाकू 'हुक्का' या 'चिलम', जिसे आम तौर पर 'हुक्का' तम्बाकू या 'गुडकू' के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू जल पाइप, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है

8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम है
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
11.	2403 91 00	"होमोजिनाइज्ड" या "रिकांस्टीट्यूटेड" तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम है
12.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
14.	2403 99 10	फिल्टर खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाला तम्बाकू, जिसमें तैयारी शामिल है
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू
17.	2403 99 40	सुंघनी
18.	2403 99 50	सुंघनी, जिसमें तैयारी शामिल है
19.	2403 99 60	तम्बाकू का अर्क और सार, जिसका कोई ब्रांड नाम है
20.	2403 99 60	तम्बाकू का अर्क और सार, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	कटी हुई तम्बाकू
22.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाला
23.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाला के अतिरिक्त, सभी वस्तु, जिसका कोई ब्रांड नाम है
24.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाला के अतिरिक्त, सभी वस्तु, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
25.	3301 24 00 3301 25 10 3301 25 20 3301 25 30 3301 25 40 3301 25 90	खट्टे फलों के अतिरिक्त आवश्यक तेलों के नाम निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-- (क) पेपरमिंट (मेथा पिपेरिटा) का ; (ख) अन्य मिंट का : स्पियर मिंट तेल (एक्स-मेथा स्पिक्टा), जल मिंट-तेल (एक्स-मेथा एक्वारिक), हार्समिंट तेल (एक्स-मेथा साल्यलबेस्ट्रीज), बेरगामेंट तेल (एक्स-मेथा सिटरेट), मेन्था अरवेनसिस

स्पष्टीकरण--

(i) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है ।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथा संभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

(iii) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड नाम" वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् एक नाम या चिन्ह, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या अविष्कृत शब्द या लेखन, जिसका उपयोग ऐसे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार के दौरान किसी संबंध को इंगित करने के प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, और कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति की किसी भी व्यक्तिगत पहचान के साथ या उसके बिना ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग करते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक